मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 134] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 16 फरवरी 2010—माघ 27, शक 1931

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 फरवरी 2010

क्र. एफ. 14-02-2008-एक-13.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सैनिक चिकित्सा सहायता अनुदान नियम-1986 में निम्नानुसार संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में :—

1. नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाये, अर्थात :—

"5" स्वीकृत की जाने वाली अनुदान राशि की अधिकतम सीमा रुपये 50,000/- (रुपये पचास हजार) होगी किन्तु—

(एक) रुपये 20,000/- (रुपये बीस हजार) तक की चिकित्सा सहायता अनुदान राशि स्वीकृत करने के लिये संबंधित जिला कलेक्टर अधिकृत होंगे, और

(दो) रुपये 20,000/- (रुपये बीस हजार) से अधिक राशि के चिकित्सा सहायता अनुदान के प्रकरण संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा अपनी अनुशंसा सहित स्वीकृति के लिये राज्य शासन को अग्रेषित किये जायेंगे.

2. यह संशोधन दिनांक 21 जनवरी 2010 से प्रभावशील होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. व्ही. सिंह, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.